सप्लाई विविध प्रकरण 109/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम श्रवणराम पुत्र उम्मेदराम

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 109/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्रवणराम पुत्र उम्मेदराम जाति माली, निवासी बावडी जिला जोधपुर। फर्मः– श्री बालाजी स्वीट्स बावडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राधेश्याम दास प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्रवणराम पुत्र उम्मेदाराम जाति माली निवासी बावडी फर्म श्री बालाजी स्वीट्स एंव नमकीन तहसील बावडी जिला जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2025 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा बावडी स्थित फर्म श्री बालाजी स्वीट्स एंव नमकीन तहसील बावडी जिला जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम श्रवणराम पुत्र उम्मेदाराम बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी) भण्डारित कर मिठाईयां बनाने संबधी व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

सप्लाई विविध प्रकरण 109/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम श्रवणराम पुत्र उम्मेदराम

मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । मौके पर अवैध भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.सी.एल	1763	17.0 कि.ग्रा.	18.8 कि.ग्रा.	9.8 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.सी.एल	458809	15.7 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	13.9 कि.ग्रा.
3.	एच.पी.सी.एल	406881	15.9 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.1 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.सी.एल	991278	15.8 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	11.0 कि.ग्रा.

उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री सताराम पुत्र चैनाराम जाति जाट प्रतिनिधि रिद्धि सिद्धि एचपी गैस सर्विस बावडी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार राधेश्याम दास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर मिठाईयां बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 226 दिनांक 05.05.2025 तामिलशुदा प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त पेशी दिनांक 17.07.2025 को अप्रार्थी द्वारा स्वंय न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए जब्तसुदा सिलेण्डर रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्तसुदा सिलेण्डर पडौसी एंव ग्राहक नेमाराम पुत्र दुडाराम, गेनादेवी पत्नि श्रवणराम, व खिवराज पुत्र श्रवणराम तथा राजन देवी पत्नि अर्जनराम के होना बताया जो कि ग्राहकों द्वारा गैस भरवाने हेतु रखा जाना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त सिलेण्डरों का व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग नहीं किया गया है, तथा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

जब्तसुदा सिलेण्डर स्वयं के नहीं होने व परीचितों द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर रखे जाना बताते हुए सिलेण्डर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

"निष्कर्ष"

प्रकरण में हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.) के अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में से दो सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है। मौके पर कोई भी सिलेण्डर पूर्णतया खाली नहीं पाया गया इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी द्वारा ग्राहकों के सिलेण्डर भरवाने हेतु रखे जाने का कथन निराधार सिद्ध होता है। प्रकरण में संलग्न प्रस्तुत मौकाफर्द में प्रतिष्ठान पर जब्तसुदा घरेलु सिलेण्डरों से नमकीन, मिठाई बनाते पाया जाना स्पष्टतया उल्लेखित है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना सिद्ध होता है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)